21.05.023

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में कोई देयता शेष न होने के कारण विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी। उक्त अन्तिम रिपोर्ट पर वादी मुकदमा को नोटिस जारी की गयी। वादी मुकदमा न्यायालय में उपस्थित आया तथा उसके द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसे अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्तुत मामले में कोई देयता शेष न होने के कारण विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी है तथा मामला शमनीय प्रकृति का है। वादी मुकदमा द्वारा भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होना कहा गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रस्तुत मामले में प्रेषित अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अनिल कुमार–VI)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(ई०सी०एक्ट), फतेहपुर।